निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 965) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 171 दिनांक 11 अगस्त 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निबंधन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	सभी श्रम अधीक्षक (अधिनियम) एवं सभी श्रम अधीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)**
2	मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० **01/OSHC-03/2026–172** / श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 172, एस० ओ० 171 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० **01/OSHC-03/2026–173/श्र०सं०)**
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 171 dated 11th August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as registering officers for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	All Labour Superintendent (Act) and All Labour Superintendent	Within the limits of its jurisdiction **(For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)**
2	Chief Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction **(For Part VII of Chapter XI of the Code)**

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-172/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 965-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 966) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 173 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की धारा–3 के अंतर्गत निबंधन पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु श्रमायुक्त, बिहार को उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अपीलीय पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–174/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 174, एस० ओ० 173 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–175/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 173 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint Labour Commissioner, Bihar as Appellate Officers to hear appeals against the orders passed by the Registering Officers under Section 3 of the Code, in respect of establishments for which the State Government is the appropriate Government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-174/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 966-571+200-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 967) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 175 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 34 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ संहिता की धारा 35 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	**2**	**3**
1	श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
2	सभी जिला पदाधिकारी	अपने जिला के क्षेत्राधिकार
3	अपर श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
4	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सम्पूर्ण बिहार
5	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	सम्पूर्ण बिहार **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**
6	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
7	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
8	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
9	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
10	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
11	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
12	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
13	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
14	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
15	उप श्रमायुक्त, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज
16	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
17	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
18	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
19	सहायक श्रमायुक्त, सारण	सारण, सीवान, गोपालगंज
20	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
21	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
22	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
23	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
24	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
25	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
26	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
27	सहायक श्रमायुक्त, बेगुसराय	खगड़िया, बेगुसराय
28	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल
29	श्रम अधीक्षक अधिनियम	पटना, गयाजी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण
30	श्रम अधीक्षक	नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीवान, गोपालगंज
31	सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**
32	सभी कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**
33	सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)**

2. सभी निरीक्षक–सह–सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 6 से 30 में उल्लिखित पदाधिकारियों को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा 79 से 91 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर निरीक्षक–सह–सुकारक की शक्तियाँ निहित होंगी।

4. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–176 / श्र०सं०)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 176, एस० ओ० 175 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–177/श्र०सं०)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 175 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint for the purposes of the Code as **Inspector-cum-Facilitators** to exercise the powers conferred under Section 35 of the Code, in relation to such establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Table

Sr. No.	**Officer**	**Jurisdiction**
1	**2**	**3**
1	Labour Commissioner, Bihar	Whole Bihar
2	District Magistrate	Jurisdiction of concerned district
3	Additional Labour Commissioners	Whole Bihar
4	Joint Labour Commissioners	Whole Bihar
5	Chief Inspector of Factories, Bihar	Whole Bihar **(For Part VII of Chapter XI of the Code)**
6	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
7	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
8	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
9	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
10	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
11	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
12	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
13	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
14	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran
15	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
16	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
17	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
18	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
19	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
20	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
21	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
22	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
23	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
24	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
25	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
26	Assistant Labour Commissioner, Betia	Sitamarhi, Sheohar, West Champarn
27	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
28	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,
29	Labour Superintendent Act	Patna, Gayaji, Munger, Bhagalpur, Saharsa, Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur, Saran
30	Labour Superintendent	Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui, Begusarai, Khagaria, Banka, Supaul, Madhepura, Araria, Katihar, Kishanganj, Madhubani, Samastipur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Siwan, Gopalganj
31	All Deputy Chief Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction **(For Part VII of Chapter XI of the Code)**
32	All Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction **(For Part VII of Chapter XI of the Code)**
33	All Labour Enforcement Officer	within the limits of its jurisdiction **(For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)**

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.

3. The officers specified at Serial Nos. 6 to 30 of the said Notification shall be vested with the powers of Inspector-cum-Facilitator, except the powers under Sections 79 to 91 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

4. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-176/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 967-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 968) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 177 दिनांक 11 अगस्त 2026—– उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–34 की उपधारा 5 एवं उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 के नियम 32(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	**पदाधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**
1	**2**	**3**
1	अपर श्रमायुक्त, बिहार	**(संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)**
2	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	**(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**

2. स्तंभ 2 अंकित पदाधिकारियों की योग्यताएं उन पर लागू होने वाले संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार तय होंगी, और ऐसे अधिकारियों को संहिता की धारा 34 की उप–धारा (5) के प्रयोजनार्थ आवश्यक योग्यताएं धारित करने वाला माना जाएगा।

3. उपरोक्त सारणी के स्तंभ 2 में अंकित पदाधिकारियों के मामले में मुख्य निरीक्षक–सह–सुकारक की शक्तियाँ श्रमायुक्त, बिहार में निहित्त होंगी।

4. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–178/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 178, एस० ओ० 177 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–179/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 177 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Sub Section 5 of Section 34 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) and Rule 32(1) of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Bihar), Rules, 2026, the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as Chief Inspector-cum- Facilitator for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	Additional Labour Commissioner, Bihar	**(For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)**
2	Chief Inspector of Factories, Bihar	**(For Part VII of Chapter XI of the Code)**

2. The qualifications of the officers mentioned in Column (2) shall be governed by the relevant service rules applicable to them, and such officers shall be deemed to possess the qualifications required under sub-section (5) of Section 34 of the Code.

3. In the case of the officers listed in Column 2 of the above table, the powers of the Chief Inspector-cum-Facilitator shall vest in the Labour Commissioner, Bihar.

4. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-178/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 968-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 969) पटना, मंगलवार, 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 179 दिनांक 11 अगस्त 2026— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–46 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अनुज्ञप्ति पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	सभी श्रम अधीक्षक (अधिनियम) एवं सभी श्रम अधीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–180/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 180, एस० ओ० 179 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० **01/OSHC-03/2026–181 / श्र०सं०**)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

S. O. 179 dated 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Section 46 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020 the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as Licensing Officer for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	**Officer**	**Jurisdiction**
1	**2**	**3**
1	All Labour Superintendent Act And All Labour Superintendent	Within the limits of its jurisdiction

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(File No. 01/OSHC-03/2026-180/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
UPENDRA PRASAD,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 969-571+200-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 970) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 181 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–52 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता की धारा 47, 48 एवं 51 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई हेतु श्रमायुक्त, बिहार को उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–182/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 182 एस० ओ० 181 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–183/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 181 date 11th August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 52 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissioner, Bihar, as the appellate authority to hear appeals against orders passed by the authority under Sections 47, 48, and 51 of the Code, in respect of establishments for which the State Government is the appropriate government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-182/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 970-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 971) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 183 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत श्रमायुक्त, बिहार (संहिता के सम्पूर्ण प्रावधानों के लिए) अपर श्रमायुक्त एवं सभी संयुक्त श्रमायुक्त (संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए) तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार को (संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए) उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अनुसंधान एवं जुर्माना आरोपित करने हेतु पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–184/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 184 एस० ओ० 183 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–185/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 183 date 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Section 111 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) the Governor of Bihar is pleased to appoint Labour Commissioner, Bihar (For the entire provisions of the Code), Additional Labour Commissioner, Bihar and all Joint Labour Commissioner (For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code) and Chief Inspector of Factories (For Part VII of Chapter XI of the Code) as Officer for Holding Enquiry and Impose Penalty for establishments for which the State Government is the appropriate government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-184/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 971-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 972) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 185 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–114 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए शमन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	**पदाधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**
1	**2**	**3**
1	उप श्रमायुक्त–सह–निरीक्षक–सह–सुकारक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII को छोड़कर अन्य सभी स्थापनाओं के लिए)**
2	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक –सह–निरीक्षक–सह–सुकारक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत **(संहिता के अध्याय XI के भाग VII के लिए)**

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–186/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 186 एस० ओ० 185 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–187/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 185 date 11th August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 114 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers mentioned in Column 2 of the table below as Compounding Officer for establishments, in respect of those establishments situated in the areas specified in Column 3 against them for which the State Government is the appropriate government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	Deputy Labour Commisssioner-cum-Inspector –Cum- Facilitator.	Within the limits of its jurisdiction **(For all establishments except Part VII of Chapter XI of the Code)**
2	Deputy Chief Inspector of Factories-cum-Inspector –Cum- Facilitator.	Within the limits of its jurisdiction **(For Part VII of Chapter XI of the Code)**

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-186/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 972-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 973) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 187 दिनांक 11 अगस्त 2026––उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–119 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अंतर्गत सभी कारखाना निरीक्षक को अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत Single License निर्गत करने हेतु उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए एकल अनुज्ञप्ति पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. यदि किसी नियोजक द्वारा कारखाना के साथ बीड़ी स्थापनाओं अथवा ठेका श्रम के लिए अथवा या उनके किसी संयोजन हेतु एकल लाईसेंस का आवेदन किया जाता है, तो एकल अनुज्ञप्ति पदाधिकारी संबंधित श्रम अधीक्षक से सहमति प्राप्त करने के उपरांत एकल लाईसेंस निर्गत करेगा।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–188/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 188 एस० ओ० 187 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–189/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 187 date 11th August 2026— In exercise of the powers conferred by Section 119 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) the Governor of Bihar is pleased to appoint all Inspector of Factories, to issue single license within their prescribed jurisdiction as Single Licensing Officer for those establishments for which the State Government is the appropriate government.

2. If an employer applies for a single license covering a factory and bidi establishments, or contract labour, or a combination thereof, the Single Licensing Officer shall issue the single license after obtaining the consent of the concerned Labour Superintendent.

3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-188/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 973-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 974) पटना मंगलवार 11 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 अगस्त 2026

एस० ओ० 189 दिनांक 11 अगस्त 2026—उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा–119 की उपधारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्रमायुक्त, बिहार को धारा–119 के अन्तर्गत अधिसूचित एकल अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/OSHC-03/2026–190/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

10 अगस्त 2026

एस० ओ० 190 एस० ओ० 189 दिनांक 11 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/OSHC-03/2026–191/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 10th August 2026

SO 189 date 11th August 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 119 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint Labour Commissioner, Bihar as the Appellate Authority to hear appeals against the orders of the Single Licensing Officer notified under section 119 of the Code.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/OSHC-03/2026-190/L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 974-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in